

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग



बिहार सरकार

मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना

सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थियों हेतु सुनहरा अवसर।

विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएँ यथा—यू0पी0एस0सी0, बी0पी0एस0सी, बिहार न्यायिक सेवा, एन0डी0ए0, सी0डी0एस0, बैंकिंग, रेलवे, एस0एस0सी0 आदि की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर मुख्य परीक्षा/ साक्षात्कार की अग्रेत्तर तैयारी हेतु बिहार सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

उपरोक्त प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर निर्धारित प्रोत्साहन राशि ₹0 1.00 (एक) लाख से ₹0 30,000/- तक प्रदान की जाती है।

बिहार राज्य के अधिसूचित अत्यंत पिछड़ा वर्ग के स्थायी निवासी अभ्यर्थी इस योजना के लाभ हेतु पात्र होंगे।

प्रारंभिक परीक्षाफल प्रकाशित होने के 45 दिनों के अंदर विभागीय पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन विभागीय पोर्टल <https://bcebconline.bih.nic.in/> पर किया जा सकता है।



विस्तृत जानकारी हेतु विभागीय वेबसाईट <https://state.bihar.gov.in/bcebcbwelfare/CitizenHome.html> अथवा QR Code स्कैन कर प्राप्त किया जा सकता है।

बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना
आवश्यक सूचना

विभागीय संकल्प सं0-1064, दिनांक-17.05.2018 एवं संकल्प सं0-155 दिनांक-24.01.2024 के आलोक में मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना अंतर्गत बिहार राज्य के अधिसूचित अत्यंत पिछड़ा वर्ग के स्थायी निवासी अभ्यर्थियों को दिनांक-24.01.2024 के उपरांत निम्नलिखित परीक्षाओं के संदर्भ में इसके प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार/अग्रेतर तैयारी हेतु प्रोत्साहन राशि प्रदान किये जाने के संबंध में विभागीय पोर्टल bcebconline.bih.nic.in के माध्यम से Online आवेदन आमंत्रित किया जाता है-

| क्र० | प्रतियोगी परीक्षा का नाम | प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था का नाम | प्रोत्साहन राशि (₹0 में) |
|------|--|--|--------------------------|
| 01. | सिविल सेवा (Civil Service) | संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली | 1,00,000 / - |
| 02. | भारतीय अभियंत्रण सेवा (Indian Engineering Service) | | 75,000 / - |
| 03. | भारतीय आर्थिक सेवा (Indian Economic Service) | | 75,000 / - |
| 04. | भारतीय सांख्यिकी सेवा (Indian Statistical Service) | | 75,000 / - |
| 05. | संयुक्त भू-वैज्ञानिक परीक्षा (Combined Geo-Scientist) | | 75,000 / - |
| 06. | संयुक्त रक्षा सेवा (CDS), | | 50,000 / - |
| 07. | केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI Dy.S.P.) | | 50,000 / - |
| 08. | केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (Central Armed Police Force) | | 50,000 / - |
| 09. | राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA), एवं नौसेना अकादमी (Naval Academy) की प्रथम चरण (लिखित परीक्षा) की परीक्षा | | 50,000 / - |
| 10. | बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता (प्रारंभिक) परीक्षा | बिहार लोक सेवा आयोग, पटना | 50,000 / - |
| 11. | बिहार न्यायिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा। | | 50,000 / - |
| 12. | अन्य राज्यों द्वारा आयोजित राज्य सिविल सेवा संयुक्त प्रतियोगिता (प्रारंभिक) परीक्षा | संबंधित राज्यों के राज्य लोक सेवा आयोग | 50,000 / - |
| 13. | भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ग्रेड-बी अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा | भारतीय रिजर्व बैंक | 30,000 / - |
| 14. | भारतीय स्टेट बैंक (SBI) एवं अन्य अनुसूचित व्यवसायिक बैंकों में परिवीक्षाधीन पदाधिकारी (Bank Probationary Officer) की प्रारंभिक परीक्षा। | भारतीय स्टेट बैंक/बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) | 30,000 / - |
| 15. | भारतीय जीवन बीमा निगम में सहायक प्रशासनिक अधिकारी (Assistant Administrative Officer) की प्रारंभिक परीक्षा | भारतीय जीवन बीमा निगम | 30,000 / - |
| 16. | संयुक्त स्नातक स्तरीय (Combined Graduate Level) प्रारंभिक परीक्षा | केन्द्रीय कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली | 30,000 / - |
| 17. | विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा आयोजित परीक्षा तकनीकी एवं स्नातक स्तरीय (Combined Graduate Level) प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर देय राशि। | संबंधित रेलवे भर्ती बोर्ड | 30,000 / - |

● **आवेदन हेतु अर्हता एवं शर्तें:**

- अभ्यर्थी को इस योजना से संबंधित परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए।
- अभ्यर्थी को बिहार राज्य का स्थायी निवासी होने के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के अंतर्गत होना/आना चाहिए।
- अभ्यर्थी को पूर्व से किसी राज्य या केन्द्र सरकार के अधीन वित्त सम्पोषित किसी भी सरकारी सेवा/लोक उपक्रम (बोर्ड/निगम) में कार्यरत अथवा नियोजित नहीं होना चाहिए।
- किसी भी अभ्यर्थी को इस योजना का लाभ सिर्फ एक ही बार देय होगा तथा एक बार योजना का लाभ प्राप्त कर लेने के पश्चात् योजना से आच्छादित किसी अन्य परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण किये जाने के आलोक में अभ्यर्थियों को दोबारा लाभ अनुमान्य नहीं है और ना ही अंतर राशि हेतु कोई दावा मान्य होगा।
- आवेदन हेतु अर्हता एवं शर्तें तथा विस्तृत दिशा निर्देश विभागीय पोर्टल bcebconline.bih.nic.in पर उपलब्ध हैं। अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि आवेदन समर्पित करने के पूर्व दिशा-निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे तथा उक्त के आलोक में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

- परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के 45 दिनों के अंदर आवेदन अंतिम रूप से समर्पित करना अनिवार्य है परन्तु यह शर्त मात्र इस बार के विज्ञापन के लिए शिथिल किया जाता है। दिनांक-24.01.2024 के उपरांत वर्तमान विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि तक प्रकाशित उपरोक्त परीक्षा परिणामों के लिए इस विज्ञापन के प्रकाशित होने के 45 दिनों के अंदर आवेदन अंतिम रूप से समर्पित करना अनिवार्य होगा। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि के पश्चात् प्रकाशित परीक्षा परिणामों के लिए आवेदन परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने की तिथि से 45 दिनों के अंदर पोर्टल पर अंतिम रूप से समर्पित करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
- विस्तृत जानकारी के लिए विभागीय वेबसाइट <https://state.bihar.gov.in/bcebcwelfare/CitizenHome.html> का सतत अवलोकन किया जा सकता है।